JHARKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
(JHALSA)

झालसा की आज यही पुकार
विकलांग को मिले समान अधिकार

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
न्याय सदन, डोरण्डा, राँची–834002

विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर के अधिकार
क्या आप अपने अधिकार जानते हैं ?

विकलांग व्यक्तियों से संबंधित (सामान अवसर, अधिकारों की रक्षा व पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 विकलांग व्यक्तियों को समर्थ बनाने और मुख्यधारा में लाने के लिए ढेर सारे अधिकार प्रदान करता है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष कानून

* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत देश में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और समान कानूनी सुरक्षा का हक प्राप्त है। यह बात विकलांग व्यक्तियों पर भी लागू होती है।
* यदि कोई विकलांग व्यक्ति अपनी विकलांगता के आधार पर अनुचित/मनमाने भेदभाव का सामना करता है तो वह किसी भी वक्त अदालत में जा सकता है।
* चूँकि संविधान "सकारात्मक" भेदभाव की अनुमति देता है, इसलिए विकलांग और गैर–विकलांग व्यक्तियों के बीच भेद मिटाने के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार और आरक्षण संबंधी विशेष कानून बनाए जा सकते हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए 'विशेष कानून' हैं :–

* विकलांग व्यक्तियों से संबंधित (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा व पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (संक्षेप में "विकलांगता अधिनियम" या इसके आगे 'यह (या इस) अधिनियम' के रूप में जिक्र किया गया है।)
* आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मंदबुद्धिता व बहु–विकलांगता से ग्रसित लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999।
* भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992

---

* स्रोत : ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तिका से

* मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987

स. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा व पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के क्या उद्देश्य हैं?

* विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाना और समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना।
* ऐसे समाज का निर्माण करना, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को गैर विकलांग व्यक्ति के समकक्ष अधिकार हासिल हों।

स. क्या सभी विकलांग व्यक्ति विकलांगता अधिनियम के लाभों के हकदार होते हैं?

ज. विकलांगता अधिनियम के सामान्य लाभ सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए होते हैं। फिर भी विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से चिन्हित अधिकार एक मान्यता प्राप्त मेडिकल प्राधिकरण द्वारा प्रमाणीकृत केवल निम्नलिखित विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए 40 प्रतिशत या अधिक की सीमा तक होते हैं :

* नेत्रहीनता
* कमजोर दृष्टि
* कुष्ठ–निवारित
* श्रवण–दोष
* लोकोमीटर विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (cerebral plasy) से ग्रसित व्यक्ति
* मंदबुद्धिता
* मानसिक रूग्णता

स. यह अधिनियम अपने उद्देश्य कैसे हासिल करेगा?

ज. विकलांगता अधिनियम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न व्यवस्थाएं करता है :

* विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा

* विकलांग व्यक्तियों को रोजगार
* सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक भवनों/स्थानों के उपयोग तथा उन तक पहुँच बनाने के लिहाज से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं।
* विकलांग व्यक्तियों को कारोबार व फैक्टरी खोलने, अपना मकान, विशेष स्कूल और विशेष मनोरंजन केन्द्र बनाने में मदद के लिए प्राथमिकता के आधार पर आबंटन।
* विकलांगता की रोकथाम और शुरूआत में पता लगाना।
* विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा।
* विकलांगता से संबंधित मसलों पर शोध और मानव शक्ति का विकास।
* विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की मान्यता।
* इस अधिनियम पर अमल के सिलसिले में तालमेल , निष्पाद व न्यायनिर्णय के लिए केन्द्र व राज्य स्तरों पर प्रतिबद्ध प्राधिकरणों की स्थापना।

शुरूआत में ही विकलांगता को रोकने के तरीकों का पता लगाने से पीड़ा काफी कम की जा सकती है। इस बारे में यह अधिनियम क्या कहता है?

स. विकलांगता की रोकथाम और शुरूआत में उसका पता लगाने के लिए सरकार को क्या–क्या कदम उठाने चाहिए?

ज. सरकार व स्थानीय प्रशासन को निम्न कदम उठाने चाहिए :

* सर्वेक्षण, जाँच और विकलांगता के कारणों पर शोध करना।
* विकलांगता रोकने के लिए विभिन्न तौर–तरीकों को बढ़ावा देना।
* हर साल 'जोखिमपूर्ण मामलों' की पहचान के लिए सभी बच्चों की कम से कम एक बार जाँच करना।
* जागरूकता अभियान चलाना और सामान्य स्वच्छता, स्वास्थ्य व

साफ–सफाई के बारे में जानकारी देना।

* जन्म से पहले, जन्म के दौरान और उसके बाद, जच्चा–बच्चा की देखभाल के लिए कदम उठाना।
* स्कूल–पूर्व, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, गाँव–स्तर के कार्यकत्ताओं और आँगनबाड़ी कार्यकत्ताओं के जरिए जनता को शिक्षित करना।
* विकलांगता के कारणों और एहतियाती कदमों के बारे में टेलीविजन, रेडियों और अन्य मास मीडिया के जरिए जनता में जागरूकता पैदा करना।

मैं पूरी तरह से योग्य हूँ, लेकिन मेरी विकलांगता की वजह से कोई भी मुझे नौकरी नहीं देता। क्या यह अधिनियम मुझे नौकरी पाने में मदद करेगा?

स. विकलांगता अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं?

ज. विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के इरादे से इस अधिनियम में निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं :

* सरकार के हरेक प्रतिष्ठान में पहचान किए गए पदों में 3 प्रतिशत रिक्तियाँ विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई हैं, इनमें एक प्रतिशत हरेक के लिए है : (i) नेत्रहीन या कमजोर दृष्टि वाले व्यक्ति, (ii) श्रवण–दोष से ग्रसित व्यक्ति और, (iii) लोकोमीटर विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित व्यक्ति।
* यदि किसी भर्ती वर्ष में कोई आरक्षित रिक्ति न भरी गई हो तो उसे अगले वर्ष में भरने के लिए अग्रसरित किया जाए।
* यदि भर्ती वर्ष में रिक्ति न भरी गई हो या आरक्षित रिक्ति के स्वरूप को देखते हुए उसे विकलांगता के निर्दिष्ट वर्ग में न भरी जा सकती हो तो तीनों वर्गों में अदला–बदली कर भरी जाए।
* गरीबी उन्मूलन की सभी स्कीमों में विकलांग लोगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण।

* सम्बद्ध मामलो, जैसे प्रशिक्षण, ऊपरी आयु सीमा में ढील, रोजगार समंजित करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय, जिन कार्य–स्थलों पर असमर्थता वाले लोगों को नियुक्त किया जाता हो वहाँ ऐसा वातावरण तैयार करना जो उनके काम करने में रूकावट न डाले, पर योजनाएँ तैयार करें।

स. यह अधिनियम कार्यस्थल पर विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव किस तरह रोकता है?

ज. अधिनियम इस बात का जोर देता है कि नियोक्ताओं को चाहिए कि जिन स्थानों पर विकलांग लोगों को नियुक्त किया जाता हो वहाँ वे ऐसा वातावरण तैयार करें जो उनके काम करने में रूकावट न डालें। अधिनियम यह आदेश भी देता है कि :

* किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में कार्यरत विकलांग व्यक्ति को सिर्फ उसकी विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है।

* सरकारी प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी व्यक्ति, जो नौकरी के दौरान विकलांग हो जाए तो :

  - उसे बर्खाश्त या पदावनत नहीं किया जा सकता।
  - यदि विकलांगता के बाद कोई व्यक्ति अपने पद पर कार्य जारी रखने के उपयुक्त नहीं रहता है तो उसे उसी वेतनमान और सेवा–लाभों के साथ किसी उपयुक्त पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
  - किसी उपयुक्त पद की उपलब्धता विचाराधीन होने पर ऐसे व्यक्ति के लिए अतिरिक्त पद बनाया जाना चाहिए।

स. क्या यह अधिनियम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार का प्रावधान करता है?

ज. सरकार को चाहिए कि वह सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के नियोक्ताओं को उनकी कुल कर्मचारी संख्या में से न्यूनतम 5 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने पर उन्हें प्रोत्साहन के बतौर छूटें प्रदान करें।

स. क्या यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों में उद्यमशीलता/ स्वामित्व को बढ़ावा देता है?

ज. हाँ, विकलांगता अधिनियम में यह प्रावधान है कि विकलांग लोगों को, अपना घर बनाने, कोई व्यवसाय खोलने या फैक्ट्री लगाने और विशेष स्कूल, अनुसंधान केन्द्र या विशेष मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने के लिए, सरकार द्वारा भूमि का अधिमानी (Preferential) आबंटन, रियायती दरों पर किया जाए।

स. क्या विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना और उसे बढ़ावा देना सरकार का दायित्व है?

ज. जी हाँ, विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए :

* 18 साल की उम्र तक अनुकूल माहौल में हरेक विकलांग व्यक्ति के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करना।
* मुख्यधारा की स्कूलों में विकलांग छात्रों के समाकलन (Integration) को बढ़ावा देना।
* विशेष शिक्षा के जरूरतमंदों के लिए सरकार व निजी क्षेत्रों में विशेष स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा देना, इन स्कूलों को व्यावसायिक व प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस करना और यह सुनिश्चित करना कि देश के किसी भाग में रहने वाले विकलांग छात्रों की ऐसी स्कूलों तक पहुँच हो सके।
* ढ़ाँचागत और अन्य मदद के लिए ये योजनाएं घोषित की जाएं :–

• विकलांग बच्चों के लिए परिवहन सुविधाएं या वैकल्पिक तौर पर माता–पिता/अभिभावकों को वित्तीय राहत देना ताकि वे अपने बच्चों

को स्कूल भेजने में समर्थ हो सकें।

- व्यावसायिक वे पेशेवर प्रशिक्षण देने वाले बच्चों, कॉलेजों या अन्य संस्थानों से ढ़ाँचागत बाधाओं को हटाना ताकि उन तक पहुँच हो सके।
- विकलांग छात्रों को पुस्तकें, वर्दी और अन्य सामग्री प्रदान करना।
- विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना।
- विकलांग छात्रों को नौकरियों के बारे में अभिभावकों की शिकायतों के निवारण के लिए समुचित फोरम स्थापित करना।
- दृष्टि दोष से ग्रसित छात्रों के लाभ के लिए परीक्षा प्रणाली में समुचित बदलाव लाना ताकि विशुद्ध तौर से गणित के सवाल हटा दिए जाएं।
- सभी विकलांग बच्चों के लाभ के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव करना, खासकर श्रवण–दोष से ग्रसित बच्चों को केवल एक भाषा सीखने की इजाजत देना।
- नेत्रहीन छात्रों के लिए लिपिक (लिखने वाले) मुहैया करना।

* संस्थागत मदद के लिए पर्याप्त संख्या में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और विकलांगता से जुड़े अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास के लिए राष्ट्रीय व अन्य स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देना।

* विकलांग व्यक्तियों की अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र में योजनाएं बनाना।

* सभी सरकारी शिक्षा संस्थाओं को और उन संस्थाओं को जिन्हें सरकार से सहायता मिलती है, निशक्तता वाले व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण देना जरूरी है।

मैं अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाने का सपना देखता हूँ ..... क्या विकलांगता अधिनियम मेरे इस सपने को साकार कर सकता है ?

लेकिन मैं किसी सार्वजनिक परिवहन में सफर नहीं कर सकता या अधिकतर इमारतों में नहीं जा सकता। इस बारे में क्या?

स. परिवहन प्रणाली के इस्तेमाल में विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव रोकने के लिए सरकार को विकलांगता अधिनियम के तहत क्या करना चाहिए?

ज. परिवहन क्षेत्र से जुड़े सरकारी प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए :

* विकलांग व्यक्तियों की आसान पहुँच और उपयोग के लिए रेल कंपार्टमेंट्स, बसों, जहाजों और हवाई जहाजों को उनके अनुकूल बनाना।
* व्हील चेयर्स का इस्तेमाल करने वालों की सुविधा के लिए रेल कंपार्टमेंट्स, जहाजों व पोतों, हवाई जहाजों, और प्रतीक्षालयों में प्रसाधन गृहों को उनके अनुकूल बनाना।

स. सड़कों के इस्तेमाल में विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव रोकने के लिए सरकार को विकलांगता अधिनियम के तहत क्या करना चाहिए?

ज. सरकार को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए :

* दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्तियों की सहायता के लिए श्रवण यातायात सिगनल लगाना, जेबरा क्रॉसिंग की सतह और रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारों को उकेरना।
* व्हील चेयर्स का इस्तेमाल करने वालों की आसान पहुँच के लिए पटरियों में ढाल (स्लोप्स) की व्यवस्था करना।
* विकलांगता के उपयुक्त चिन्हों को लगाना।
* उपयुक्त जगहों पर चेतावनी सिगनल लगाना।

स. सार्वजनिक भवनों तक विकलांग व्यक्तियों की पहुँच सुगम बनाने के लिए सरकार को विकलांगता अधिनियम के तहत क्या करना चाहिए?

ज. सरकार को सार्वजनिक भवनों में निम्न उपाय करने चाहिए :

* सभी भवनों, खासकर अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य मेडिकल देखभाल व पूनर्वास केन्द्रों पर ढलान (रेम्प्स) रखना।
* व्हील–चेयर्स का इस्तेमान करने वालों के लिए प्रसाधन गृहों को अनुकूल बनाना।
* लिफ्ट में ब्रेल चिन्ह और श्रवण–सिगनल्स लगाना।
* ऐसे कदम उठाएं जिनसे सार्वजनिक स्थलों, जन–सेवाओं और अन्य संस्थाओं में, एक बाधा–मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

स. विकलांग व्यक्तियों की 'सामाजिक सुरक्षा' और 'पुनर्वास' के लिए सरकार को विकलांगता अधिनियम के तहत क्या करना चाहिए?

ज. सरकार को निम्न उपाय करने चाहिए :

* विशेष रोजगार एक्सचेंज में दो साल से ज्यादा समय से पंजीकृत होने के बावजूद बेरोजगार रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को 'बेरोजगारी भत्ता' देने की येाजनाएं बनाना।
* अपने विकलांग कर्मचारियों के लिए 'बीमा योजना' या 'सुरक्षा योजना' बनाकर अधिसूचना जारी करना।
* सभी विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास करना (जिसमें सहायक यंत्र व उपकरण प्रदान करना शामिल है) ताकि वे शारीरिक, संवेदिक (सेंसरी), बौद्धिक, मनःस्थतीय या सामाजिक कार्यात्मक स्तरों पर अधिकतम रूप से समर्थ हो सकें।

इस अधिनियम को कौन क्रियान्वित करता है? क्या हमारी शिकायतों के निवारण के लिए कोई विशेष कार्यालय है?

स. विकलांगता अधिनियम के तहत क्रियान्वयन करने वाले प्राधिकारी कौन–से हैं?

ज. विकलांगता अधिनियम में निम्नलिखित प्राधिकारियों को इंगित किया गया है :

* मुख्य आयुक्त (केन्द्रीय स्तर पर) और राज्य आयुक्त।
* केन्द्रीय व राज्य तालमेल समितियाँ।
* केन्द्रीय व राज्य कार्यपालक समितियाँ।

स. मुख्य आयुक्त/राज्य आयुक्तों के क्या–क्या अधिकार हैं?

ज. मुख्य आयुक्त/राज्य आयुक्तों के निम्नलिखित अधिकार हैं :

* मुख्य आयुक्त/अपनी इच्छा से या पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्य कारण से निम्नलिखित शिकायतों की जाँच कर सकता है :
  - विकलांग व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करना।
  - विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण से संबंधित बनाए गए कानूनों, नियमों, उप–कानूनों (बाईलॉज), नियमन, कार्यपालक आदेशों, दिशा–निर्देशों या निर्देशों पर अमल न करना।
* इसके बाद मुख्य आयुक्त उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ मामले को उठा सकता है।
* मुख्य आयुक्त निम्न कार्य भी करेगा :
  - राज्य आयुक्तों के कार्यों में तालमेल बिठाना।
  - केन्द्र सरकार द्वारा वितरित सहायता राशि के उपयोग पर निगरानी रखना।
  - विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा करना।
  - अधिनियम को लागू किए जाने के बारे में, केन्द्रीय सरकार को नियमित अन्तराल से प्रतिवेदन भेजना।
* राज्य आयुक्तों के समान अधिकार/कार्य हैं, लेकिन ये राज्य स्तर तक सीमित हैं।

स. तालमेल समितियों को क्या कार्य सौंपे गए हैं?

ज. केन्द्रीय और राज्य तालमेल समितियों को क्रमशः केन्द्रीय व राज्य स्तर पर सभी सरकारी व गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) की गतिविधियों की समीक्षा और उनमें तालमेल बिठाना चाहिए। साथ हीं विकलांगता से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं का प्रतिपादन करना चाहिए। उन्हें विकलांग व्यक्तियों को समानता व पूर्ण भागीदारी हासिल करने के इरादे से बनाई गई नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभाव तथा सरकार द्वारा बताए गए ऐसे कार्यों की भी निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए।

स. कार्यपालक समितियों को क्या कार्य सौंपे गए हैं?

ज. केन्द्रीय और राज्य कार्यपालक समितियों को क्रमशः केन्द्रीय व राज्य स्तर पर केन्द्रीय तालमेल समिति के फैसले कार्यान्वित करने चाहिए तथा तालमेल समिति द्वारा उन्हें सौंपे गए अन्य कार्य करने चाहिए।

मैं क्या कर सकती हूँ ?

स. विकलांगता अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों को लागू कराने के लिए विकलांग व्यक्ति को क्या करना चाहिए?

* यदि विकलांगता अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है या उससे वंचित रखा जाता है तो संबंधित सरकार और/या संबंधित प्रतिष्ठान को प्रतिवेदन दें।
* यदि कोई जवाब नहीं मिलता या जवाब नकारात्मक/अपर्याप्त हो तो विकलांगता से संबंधित आयुक्त के पास जाएं।
* विकल्पतः, संबंधित उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक समादेश याचिका दाखिल करें।
* यदि राष्ट्रीय महत्व के किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत समादेश याचिका दाखिल करें।

स. विकलांगता अधिनियम के तहत दिये गए किसी ऐसे अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जिसका प्रभाव विकलांग व्यक्तियों के पूरे समूह पर पड़ता है तो क्या किया जा सकता है?

ज. ऐसे मामलों में कोई भी विकलांग व्यक्ति या विकलांग व्यक्तियों का समूह या संबंधित गैर–सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) या विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत कोई भी संगठन प्रभावित समूह या वर्ग की ओर से उच्च न्यायालय से जनहित याचिका (पी.आई.एल) दाखिल कर सकता है या जहाँ राष्ट्रीय महत्व के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो सर्वोच्च न्यायलय में जो सकता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा और/या विकलांग व्यक्तियों के रोजगार, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, नागरिक सुविधाओं, सार्वजनिक भवनों या इन जैसे मसलों, जो एक से ज्यादा विकलांग व्यक्तियों पर असर डालते हैं या उन्हें लाभ पहुँचता है, उनके बारे में जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है।

विधिक सेवाएं क्या है ?

- समस्त न्यायालयों / प्राधिकरणों / अधिकरणों / आयोगी के समक्ष विचारधीन मामलों में विधिक सेवायें उपलब्ध कराई जाती है।
- गरीब तथा आम व्यक्तियों के लिए न्याय शुल्क सहित वकील की फीस एवं अन्य सभी आवश्यक वाद व्यय प्राधिकार द्वारा वहन किये जाते हैं।
- विधिक अधिकारों एवं सेवाओं की जागरूकता के लिए विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों में सन्धिकर्ता दल द्वारा परिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कराये जाने के सतत् प्रयास किये जाते हैं।
- मोटर दुर्घटना प्रतिकार वादों में पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र न्याय दिलाया जाता है।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कौन है ?

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य,
- अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार करायी जाती है,
- महिलाएं एवं बच्चे,

मानसिक रोगी एवं विकलांग

- अनुपक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताये हुए व्यक्ति या शहीद सैनिकों के आश्रित,
- औद्योगिक श्रमिक,
- कारागृह, किशोर, मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति या ऐसे सभी व्यक्ति जिनका वार्षिक आय पच्चास हजार रूपये से कम है।

विकलांग बच्चों के प्रति हमारा कर्त्तव्य

- विकलांग बच्चों के देखभाल, संरक्षण और सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना।
- समर्थिक वातावरण को सृजित करते हुए गरिमा और समानता के विकास के अधिकार को सुनिश्चित करना जहाँ बच्चे विभिन्न कानूनों के अनुसार, समान सुविधाएँ और पूर्ण भागीदारी का प्रयोग कर सकें।
- विकलांग बालकों को विशेष पुनर्वास सेवाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रति प्रभावी पहुँच और इसका समावेश सुनिश्चित करना।
- गभीर विकलांगताग्रस्त बच्चों के विकास का अधिकार और उनकी विशेष आवश्यकताओं को देखरेख और संरक्षण की मान्यता सुनिश्चित करना।

जनहित में जारी

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :-

सदस्य सचिव, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, डोरण्डा, राँची–834002

फोन : 0651-2482397, 2482392, फैक्स : 2482397, ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com

अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकारो के अध्यक्षो (जिला जजो) या सचिव तथा प्रदेश की समस्त अनुमंडल में कार्यरत अनुमंडल विधिक सेवा समितियों के सचिवों से सम्पर्क करें।